न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 671/2026

20.06.2026

आवेदकगण **1. राकेश कुमार 2. छोटी कुमारी 3. चन्दा कुमारी 4. हेमलता देवी एवं 5. राजेन्द्र यादव** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **मुफ्सिल थाना काण्ड संख्या 212/2026** अन्तर्गत **धारा 126 (2), 115 (2), 118 (1), 117 (2), 74, 352, 351 (2), /3/5 बी0एन0एस0** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मो0 सगीर अहमद एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह कि अग्रिम जमानत 1. राकेश कुमार 2. छोटी कुमारी 3. चन्दा कुमारी 4. हेमलता देवी एवं 5. राजेन्द्र यादव की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जो मुफ्सिल थाना काण्ड संख्या 212/2026 अन्तर्गत धारा 126 (2), 115 (2), 118 (1), 117 (2), 74, 352, 351 (2), /3/5 बी0एन0एस0 में दाखिल की जा रही है। इस जमानत आवेदन के अलावे आवेदकगण की ओर से दूसरा नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में और ना ही मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल की गई है। गिरफ्तारी के डर से आवेदकगण यह जमानत आवेदन दाखिल किय है। आवेदकगण निर्दोष है, और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा उन्हे केवल भूमि विवाद के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में आवेदकगण के खिलाफ सामान्य आरोप है तथा दोनो पक्ष एक ही गांव के है। प्राथमिकी के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं घटी, बलकि आवेदकगण के साथ किए गए अपराध के लिए खुद को और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को अपराधिक मुकदमें से बचाने के लिए यह झूठा ममला दर्ज कराया है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह घटना बदले लेने या जमीन हडपने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आवेदिका संख्या 04 हेमलता देवी ने मुफ्सिल थाना केस संख्या 213 धारा 126 (2), 115 (2), 118 (1), 74, 308 (3), 352, 351 (2), 3(5) बी0एन0एस0 के तहत दर्ज कराया, जो विद्वान सी0जे0एम0, मुंगेर की अदालत में लंबित है और इस मामले से बचने के लिए यह लाया लाया गया है। सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की है, और गैर–जमानतीय धाराएं आवेदकगण के खिलाफ लागू नहीं होती है। आवेदक संख्या 1, 2 एवं 3 छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है। दोनों पक्षों के बीच का विवाद भूमि से संबंधित है। आवेदकगण बी0एन0एस0 की धारा 482 के तहत सभी नियमों एवं शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। आवेदकगण की भागने की कोई संभावना नहीं हैं। आवेदकगण जमानत बांड देने के लिए तैयार है, जिसे माननीय न्यायालय उचित एवं उपयुक्त समझे। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

लगातार

20.06.2026

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामित अभियुक्त हैं और इसका घटना में शामिल में शामिल होने की बात कही गयी है, जिसका समर्थन गवाहों ने किया है। अतः, अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

उभयपक्षों को सुना व अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत केस में कुल पांच आवेदकगण जिनके विरूद्ध धारा 126 (2), 115 (2), 117 (2), 74, 352, 351 (2), 3 (5) बी0एन0एस0 का आरोप लगाया गया है और आवेदिका अभियुक्त संख्या 04 हेमलाता देवी के द्वारा मुफ़सिल थाना कांड संख्या 213/2026 दर्ज कराया गया है एवं पारा 30 में अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। दोनो पक्षों के मध्य जमीनी विवाद है और प्रथम दृष्टया धारा 74 के तहत बेलगन करने का आशय प्रकट नहीं होता है, जो प्राथमिकी से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त प्राथमिकी में दिए गए कट्टे अथवा गोली की कोई बरामदगी नहीं है।

ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर आदेश प्रापति के 20 दिनो के अंदर विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर आवेदक अभियुक्तगण **1. राकेश कुमार 2. छोटी कुमारी 3. चन्दा कुमारी 4. हेमलता देवी एवं 5. राजेन्द्र यादव** को अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. एक जमानतदार आवेदकगण के निकटवर्ती संबंधी होंगे।

2. आवेदकगण अन्तर्गत धारा 482 (2) बी0 एन0 एस0 एस0 के शर्तों पर शपथपत्र दाखिल करने तथा प्रत्येक तिथि को हाजिरी–पैरवी दाखिल करने एवं आरोप के गठन की सुनवाई पर सदेह उपस्थित रहेंगे।

3. इस आदेश के प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के अंदर संबंधित विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करेंगे।

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

L.C.R and order of copy भेजा गया

D.B. No— 67/2026, Dated- 22-...